जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 111/2026

गंगटा थाना कांड संख्या– 137/2025.

---

1. सिया देवी उर्फ जिया देवी

2. कैलाश मंडल

3. जयकांत कुमार .....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से – श्री राजेश कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी/सरकार की ओर से – श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

04.06.2026 आवेदकगण **1. सिया देवी उर्फ जिया देवी, 2. कैलाश मंडल एवं 3. जयकांत कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदकगण पर धारा 316(3) बीएनएस का आरोप नहीं बनता है। आवेदकगण सूचिका के मां, पिता तथा भाई हैं। सूचिका ने आवेदन में दिनांक 22.08.2023 की तिथि लिखी, परंतु थाना में आवेदन दिनांक 18.12.2025 को दिया। आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचिका मुस्कान देवी के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 28.08.2023 को सूचिका के पिता कैलाश मंडल, मां सिया देवी एवं भाई जयकांत कुमार सूचिका के ससुराल आये और कहा कि बेटी तुम्हे

लगातार

04.06.2026. मायके जाना है। सूचिका के पति ने सूचिका को जाने को मना किया, लेकिन सूचिका के पिता किसी की बात नहीं माने और सूचिका का मंगलसूत्र, सोने का चैन, सोने का टाप्स झुमका, सोने का मांग का टीका, सोने की अंगूठी, चांदी का पायल, सोने का नाम का बेसर, चांदी का चैन आदि और सूचिका के मोटरसाइकिल पर बिठाकर मायके ले गये। सूचिका के वापस ससुराल जाने पर वह जेवरात का मांग की, तो आवेदकगण बोले कि दुर्गा पूजा में आओगी, तो देंगे। सूचिका अपने पति के साथ गयी और जेवरात की मांग की, तो आवेदकगण मना किये। सूचिका अपने ससुर पति और अन्य लोगों के साथ जाकर जेवरात की मांग की, परंतु सूचिका के पिता मना कर दिए। सूचिका पुनः दिनांक 27.04.2024 को मायके गयी तथा जेवरात की मांग की, तो वे अभद्र व्यवहार करने लगे तथा जान से मारने की धमकी दिए। सूचिका ने कई बार जेवर मांगने का प्रयास किया, परंतु हर बार इंकार किया गया। सूचिका के पिता एवं अन्य लोगों ने सूचिका के ससुर के साथ मारपीट किया तथा जेबर देने से मना किया। सूचिका के आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 316(3), 352, 351(2) बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण पर अपनी ही पुत्री, जो वाद की सूचिका है, के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके माता–पिता एवं भाई उसके जेबर जिद करके ले लिए और बाद में देने से इंकार करते हैं। कांड दैनिकी के पैरा 02 में वादी का पुनः बयान तथा पैरा 03 में अन्य साक्षी का बयान है, जिसमें घटना का समर्थन किया है। इस वाद में आवेदकगण सूचिका के माता–पिता एवं सगा भाई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यास भंग करने का आरोप बनता प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण **1. सिया देवी उर्फ जिया देवी, 2. कैलाश मंडल एवं 3. जयकांत कुमार** को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
04.06.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति साथ मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
04.06.2026.